

## उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड।

(कार्मिक अनुभाग-एक)

संख्या । १७२४५ /उ०नि०(एक)-२०/२०१८-१९

दिनांक : देहरादून : १७ अप्रैल, 2018

समस्त महा प्रबन्धक,  
जिला उद्योग केन्द्र,  
उत्तराखण्ड।

**विषय** उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत साप्टवेयर में अधिकारियों/ कर्मचारियों के उआ प्रदर्शन तथा वार्षिक स्थानान्तरण हेतु विकल्प मांगे जाने के संबंध में।

कृपया उपरोक्त के संबंध में निदेशालय के पत्र संख्या 174-सी (उ०नि०)-२०/२०१८-१८, दिनांक 15 अप्रैल, 2018 के प्रस्तर संख्या-२ में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण में उल्लिखित विवरण के साक्ष्य आनलाईन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में पत्र के साथ गाईड लाईन संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-प्रपत्र।

भवदीय,

*मुख्य प्रशासनिक अधिकारी*  
(के०के०कोटनाला)  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि समस्त कार्मिक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को दिशा निर्देश एवं गाईड की लाईन की प्रति सहित।

*मुख्य प्रशासनिक अधिकारी*  
(के०के०कोटनाला)  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।

**धारा-7 के उपधारा 'ध' के अनुसार सुगम से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट होगी -**

1	वरिष्ठ कार्मिक (31 मई को 55 वर्ष या इससे अधिक की आयु होने पर)		
2	दुर्गम क्षेत्र में पूर्व में ही न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका है और -		
3	क०स०	विषय	रोगी
3	3(i)- ग्रस्त	रोगीर रूप से रोग कम आयु के बच्चे, माता-पिता	रोग पति/पत्नी, 18 वर्ष से 1-कैन्सर 2- ल्यूड कैन्सर 3-एड्स/एचआईवी० पॉजिटिव 4-हृदय रोग (बाईपास सर्जरी) अथवा एंजियोलास्टी किया हो) 5-किडनी रोग (जायलिसिस पर निर्भर), ट्रांसलाइट किया है, एक किडनी निकाली हो। 6- टी०बी० (दोनों फेफड़े संक्रित हैं या एक फेफड़ा पूर्णतः खराब है) 7- शीढ़ की हड्डी दूटने से बिमारी (थड़े स्टेज) 8-मिर्गी 9-मानसिक रोग 10-सञ्च मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित अन्य बीमारी जिससे कार्मिक की विशेष क्षेत्र में तैनाती उचित न हो तथा धारा-27 से अनुमोदित हो।
3(ii)-	विकलाग	विकलागता	विकलागता 1- पूर्ण अधारण 2-दोनों पाव रहित 3-एक अपूर्ण पाव 4-लकवायग्रस्त एक हाथ या एक पाव 5-40 प्रतिशत से अधिक विकलागता
4	ऐसे पति-पत्नी जिनका एकलौता पुत्र-पुत्री विकलाग हो।	विकलागता	विकलागता 1- पूर्ण अधारण 2-दोनों पाव रहित 3-एक अपूर्ण पाव 4-लकवायग्रस्त एक हाथ या एक पाव 5-40 प्रतिशत से अधिक विकलागता
4(i)-	विकलाग	विकलागता	विकलागता हेतु सी०एम०ओ० द्वारा जारी प्रमाण पत्र विकलागता हेतु सी०एम०ओ० द्वारा जारी प्रमाण पत्र

**स्थानान्तरण हेतु अनुरोध (धारा-13) के अंतर्गत**

1. चुगम से दुर्गम क्षेत्र (कोई भी)					
2. दुर्गम में 3 वर्ष / 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चुगम क्षेत्र हेतु पत्र कार्मिक दुर्गम क्षेत्र हेतु स्थानान्तरण हेतु अनुरोध कर सकता है।					
3- पति / पत्नी दोनों राज्य सेवा में कार्यरत हैं तो अनुरोध पर सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र में एक ही स्थान पर तैनाती हेतु पत्र होने पर निर्भर रखना चाहिए।					
4- कार्मिक के प्रति / पत्नी के गमीर रोगग्रस्त / विकलांगता के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र हेतु अनुरोध					
क्रमांक	विषय	रोगी	रोग		
(i)-	रोग ग्रस्त	पति / पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे,	रोग 1-कैन्सर 2- ब्लड कैन्सर 3-एड्स / एचआईवी० पॉजिटिव 4-इदय रोग (बाइयास सर्जरी) अथवा एंजियोलास्टी किया हो) 5-फिडनी रोग (डायलिसिस पर निर्भर), द्रांस्स्टांट किया है, एक किडनी निकाली हो। 6- टी०बी० (दोनों फेफड़े संकमित हैं या एक फेफड़ा पूर्णतः खराब है)। 7- शीठ की हड्डी ढूँटने से बिमारी (थर्ड स्टेज) 8-मिनी रोग 9-मानसिक रोग 10-राज्य मोडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित अन्य बीमारी जिसमें कार्मिक की विशेष क्षेत्र में तैनाती उचित न हो तथा धारा-27 से अनुमोदित हो।	अनिवार्य प्रमाण-पत्र (क) अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान 1- पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 2-राज्य मेडिकल बोर्ड 3- राज्य के अधिकृत मेडिकल संस्था 4- राज्य चिकित्सा विभाग द्वारा राज्य / जनपद स्तर के निर्दिष्ट प्राधिकारी / समिति द्वारा जारी प्रमाण-पत्र। (ख) राज्य मोडिकल बोर्ड की रास्त्रिति	(g) धारा-27 के अधीन गरित समिति का अनुमादन
(ii)-	विकलांग	विकलांगता	विकलांगता हेतु सी०एम०ओ० द्वारा जारी प्रमाण पत्र		
(5) मानसिक रूप से रोगग्रस्त बच्चे जो पूर्णतया लाचार / देखभाल हेतु पूर्णतः माता-पिता पर निर्भर होने पर अनुरोध - (सुगम से दुर्गम अथवा दुर्गम से चुगम हेतु)	क्रमांक	विषय	रोगी		
(i)-	रोग ग्रस्त एवं लाचार	बच्चे का नाम	रोग 1-विकिंग 2- रोगग्रस्त से लाचार		
6- विधवा, विधु, परित्यक्ता, तालाकुदा एवं विरिष्ट कार्मिक का अनुरोध के आधार पर आवेदन।			अनिवार्य प्रमाण-पत्र 1-राज्य मोडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र		

सौनिक तथा अद्वैतीनिक बलों में तैनात कार्मिकों की पति-पत्नी-

5	सौनिक-अद्वैतीनिक बलों का नाम	प्रमाण पत्र
क०स०	सौनिक-अद्वैतीनिक बल का नाम	
5()	सेना, बी०स०ए०फ०, सी०आ०इ०ए०स०ए०फ०, आ०इ०टी०बी०टी०, सी०आ०र०य०ए०फ०, ए०स०ए०स०बी०	